

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 41 सन 2022

अनवान :-

1. प्रहलादसिंह पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा ।
2. रमेश कुमार पुत्र रंधीरसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
3. सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
4. सुशील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
5. रवि पुत्र अनिल जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
6. अजय कुमार पुत्र जयप्रकाश बुरडकजाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा

वादीगण

बनाम

1. सतवीर पुत्र ननी उर्फ नानकौरी पुत्री हरनामसिंह पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. मोनिका पुत्री सतवीर पत्नी लोकेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया बडा तहसील व जिला सिरसा
3. रणधीर पुत्र ननी उर्फ नानकौरी पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
4. सुमन पुत्री रणधीर पत्नी मुकेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी उतरादाबास तहसील भादरा ।
5. सुनीता पुत्री रणधीर पत्नी दीपक जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी उतरादाबास तहसील भादरा ।
6. कृष्ण कुमार पुत्र ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
7. कविता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पालडी तहसील भादरा ।
8. अनिल पुत्र ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
9. अनु पुत्री अनिल पत्नी अंकित जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी बकरियावाली तहसील व जिला सिरसा ।
10. जयप्रकाश पुत्र ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
11. समेस्ता पुत्री जयप्रकाश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
12. रचना पुत्री जयप्रकाश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
13. समरजीत पुत्री जयप्रकाश पत्नी सुनील जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी जुगलान तहसील व जिला सिरसा ।
14. रोशनी पुत्री मिलावती पुत्री नानी उर्फ नानकौरी पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी किराडाबडा तहसील भादरा ।
15. शारदा पुत्री मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकौरी पत्नी राजेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया ।
16. रामनिवास पुत्र मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
17. विकास पुत्री मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
18. गुडडी पुत्री ननी उर्फ नानकौरी पत्नी बागवीर जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पनिहाल चक तहसील व जिला हिसार
19. सीतादेवी पुत्री ननी उर्फ नानकौरी पत्नी राजवीर जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पनिहार चक तहसील व जिला हिसार
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :- 08/03/2022

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा

चक 7 बाराणी के खाता संख्या 169/143 की कुल 3.7950हैव व रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैव व खाता संख्या 53/53 की कुल 3.2890हैव भूमि ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह वादी की दादी है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह का देहान्त हो चुका है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 वादी की बहने/पिता/बुआ है एवं मृतक ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह जो वादी की दादी है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह वादी की दादी है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह का देहान्त हो चुका है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्री/भतिजो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 20 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बाराणी के खाता संख्या 169/143 की कुल 3.7950हैव व रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैव व खाता संख्या 53/53 की कुल 3.2890हैव भूमि ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह वादी की दादी है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह का देहान्त हो चुका है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 वादी की बहने/पिता/बुआ है एवं मृतक ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अभिषेक अधिकारी
कोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 169/143 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैक् व खाता संख्या 53/53 की कुल 3.2890हैक् भूमि ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है।


वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह वादी की दादी है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह का देहान्त हो चुका है ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जो वादीगण के पिता /बहन /बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाप्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 169/143 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैक् व खाता संख्या 53/53 की कुल 3.2890हैक् भूमि ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिव 1/5 हिस्सा वादी संख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा का खातेदार काशतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाप्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हुनुमिगवै)
नाहर

पर्चा डिप्टी

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाबा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. प्रहलादसिंह पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा ।
2. रमेश कुमार पुत्र रंधीरसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
3. सुनील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
4. सुशील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
5. रवि पुत्र अनिल जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
6. अजय कुमार पुत्र जयप्रकाश बुरडक जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा

वादीगण

बनाम

1. सतवीर पुत्र ननी उर्फ नानकौरी पुत्री हरनामसिंह पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. मोगिका पुत्री सतवीर पत्नी लोकेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी भोडिया बडा तहसील व जिला सिरसा
3. रणधीर पुत्र ननी उर्फ नानकौरी पत्नी श्योचन्द जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
4. सुगन पुत्री रणधीर पत्नी मुकेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी उत्तरादाबास तहसील भादरा ।
5. सुनीता पुत्री रणधीर पत्नी दीपक जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी उत्तरादाबास तहसील भादरा ।
6. कृष्ण कुमार पुत्र ननी उर्फ नानकोरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
7. कविता पुत्री कृष्ण कुमार पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पालडी तहसील भादरा ।
8. अनिल पुत्र ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
9. अनु पुत्री अनिल पत्नी अंकित जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी बकरियावाली तहसील व जिला सिरसा ।
10. जयप्रकाश पुत्र ननी उर्फ नानकौरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
11. समेस्ता पुत्री जयप्रकाश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
12. रचना पुत्री जयप्रकाश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
13. समरजीत पुत्री जयप्रकाश पत्नी सुनील जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी जुगलान तहसील व जिला सिरसा ।
14. रोशनी पुत्री मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकोरी पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी किराडाबडा तहसील भादरा ।
15. शारदा पुत्री मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकौरी पत्नी राजेश जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी किशनपुरा उत्तरादा तहसील संगरिया ।
16. रामनिवास पुत्र मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकोरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा
17. विकास पुत्री मिलावती पुत्री ननी उर्फ नानकोरी जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
18. गुडडी पुत्री ननी उर्फ नानकोरी पत्नी बागवीर जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पनिहाल चक तहसील व जिला हिसार
19. सीतादेवी पुत्री ननी उर्फ नानकोरी पत्नी राजवीर जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा हाल निवासी पनिहार चक तहसील व जिला हिसार
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 41 सन 2022 निर्णय दिनांक- 08/03/2022


आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

कोचर

पर बाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण बाद वादी डिग्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बरानी के खाता संख्या 169/143 की कुल 3.7950 है व रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300 है व खाता संख्या 53/53 की कुल 3.2890 है व भूमि ननी उर्फ नानकोरी पत्नी हरनामसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 3 ,4 दोनों बहिब 1/5 हिस्सा वादी संख्या 5 अकेला 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 6 अकेला 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे विय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिग्री आज दिनांक 08/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
बाहरे